



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-602-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017-02-प्र०सु०/2003 टी०सी०-VI (B), दिनांक: 14.8.2017

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की दिनांक 02.08.2017 को सम्पन्न 130वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ड्राफ्टमैन (मानचित्रक) एवं तकनीकी सहायकों के संवर्ग को मृत संवर्ग घोषित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-294-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017-2-प्र०सु०/2003 टी०सी०-VI(A), दिनांक 15.05.2017 के अनुक्रम में एतद्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है :-

1. दिनांक 15.05.2017 तक जो कार्मिकगण, ड्राफ्टमैन (मानचित्रक) एवं तकनीकी सहायक के संवर्ग के अन्तर्गत नियमित रूप से कार्यरत हो गये हों, को पदोन्नति सहित सेवा सम्बन्धी विभिन्न अनुमन्य लाभ, यदि अन्यथा कोई कारण न हो, तो संवर्ग के मृत संवर्ग घोषित किये जाने की तिथि के पूर्व की स्थिति के अनुसार ही अनुमन्य रहेंगे।
2. दिनांक 15.05.2017 तक जो कार्मिकगण, ड्राफ्टमैन (मानचित्रक) एवं तकनीकी सहायक के संवर्ग के अन्तर्गत नियमित रूप से कार्यरत हो गये हों, की पदोन्नति हेतु वांछित रिक्त पदों को छोड़कर उक्त मृत घोषित संवर्ग के अन्तर्गत अन्य रिक्त पदों को किसी भी प्रक्रिया के द्वारा भरा नहीं जायेगा तथा ये पद रिक्त होते ही स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
3. कार्यालय ज्ञाप सं०-294-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017-2-प्र०सु०/2003टी०सी०-VI(A), दिनांक 15.05.2017 में निहित शेष शर्तें/प्रतिबन्ध/प्राविधान, यथावत प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

सं०-602(i) ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुमोदन अपने निदेशक मण्डल से भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
आर.के. गुप्ता
(आर०-के० गुप्ता)

उप सचिव (ज०श० एवं प्र०सु०)